

विषय - एच० सी० एस० अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखवाने हेतु अथोरिटीज निर्धारित करना ।

क्या सभी वित्तायुक्त हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. विभिन्न पदों पर नियुक्त एच० सी० एस० अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखवाने के लिये जो रिपोर्टिंग/रिव्यूइंग/एक्सेप्टिंग अथोरिटीज (Reporting/Reviewing/Accepting Authorities) निर्धारित हैं उनकी विवरणी सभी विभागों की सुविधा के लिये तैयार की गई है जो कि संलग्न है । अतः अनुरोध है कि वर्ष 1985-86 के लिये तथा भविष्य में लिखी जाने वाली एच० सी० एस० अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट इस पत्र के साथ लगी विवरणी में बनाई गई अथोरिटीज से लिखवाई जायें ।

3. कृपया इन हिदायतों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये और इसका दृढ़ता से पालन किया जायें ।

4. कृपया इसकी पावती भेजें ।

हस्ताक्षर

अवर सचिव प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त हरियाणा तथा
सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा० क्रमांक 31/1/86-एस (1), दिनांक चण्डीगढ़, 30 अप्रैल, 1986

क्रमांक 31/1/86-एस (1), दिनांक चण्डीगढ़, 30 अप्रैल, 1986

एक एक प्रति अनुलग्नकों की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
- (2) हरियाणा के सभी निगमों/बोर्डों/फैडरेशनों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य प्रशासक
- (3) हरियाणा राज्य में सभी मण्डलीय आयुक्त एवं उपायुक्त

हस्ताक्षर

अवर सचिव प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।